बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

आवश्यक सूचना

बिहार तकनीकी सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या-01/2019 के अंतर्गत कनीय अभियन्ता (असैनिक/यौत्रिक) के पद पर चयनित एवं लघु जल संसाधन विभाग को आवंटित किये जाने के क्रम में बिहार तकनीकी सेवा आयोग के पत्र सं0-20 एवं 21 दिनांक-01.01.2025 तथा पत्रांक-671 दिनांक-24.02.2025 द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में लघु जल संसाधन विभाग में कनीय अभियन्ता(असैनिक/यौत्रिक) के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण पत्रों/अभिलेखों का सत्यापन(Certificate Verification Counselling) दिनांक-16.01.2025 से 18.01.2025 तक एवं दिनांक-27.01.2025 तथा दिनांक-27/03/2025 को की गयी, जिसमें कुल-47(सैतालिस) अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे । पूर्व निर्धारित तिथियों में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से एक अवसर और प्रदान करते हुए शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण पत्रों/अभिलेखों का सत्यापन(**Certificate Verification Counselling**) **दिनांक-07/07/2025 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक नया सचिवालय, विकास भवन, बेली रोड, पटना-15 के द्वितीय तल पर स्थित उप सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के कार्यालय** कक्ष में किया जायेगा ।

एतद् द्वारा संबंधित सभी 47(सैतालिस) **अभ्यर्थियों को** अंतिम रूप से एक अवसर और प्रदान करते हुए **सुचित किया जाता है कि वह अपने प्रमाण-पत्र सत्यापन के लिए निर्धारित तिथि एवं समय पर अपने साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्र/अभिलेख लाना सुनिश्चित करेगें :-**

1. पहचान हेतु आधार कार्ड/निर्वाचन पहचान पत्र/ड्राईविंग लाईसेंस या अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र ।
2. पूर्ण रूप से भरा हुआ सत्यापन प्रपत्र (दो प्रतियें में) । (विहित प्रपत्र संलग्न है)
3. मैट्रिक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र ।
4. Diploma in Engineering का मूल प्रमाण पत्र ।
5. Diploma in Engineering का सभी वर्षो/Semester का मूल अंक पत्र ।
6. **अनुभव प्रमाण-पत्र जो आयोग में समर्पित किया गया है**(बिहार राज्य में अवस्थित किसी विभाग/संस्थान/उपक्रम/निगम/निकाय/प्राधिकार/स्वशासी निकाय में संविदा के आधार पर कनीय अभियन्ता(असैनिक/यौत्रिक) के पद पर कार्य करने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के लिये)।
7. अन्य उच्चतर शैक्षणिक योग्यता से संबंधित मूल प्रमाण पत्र जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया हो ।
8. अगर नियोजित/सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थान में कार्यरत हो तो नियोक्ता द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र/सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत विरमन पत्र/सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र ।
9. सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र(मूल प्रति में) ।
10. सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र । (आरक्षित कोटि के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए) (मूल प्रति में) ।
11. सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र ।(पिछड़ा/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए मूल प्रति में) ।
12. सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र ।
13. चरित्र प्रमाण पत्र (**संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत एवं छः माह से पूर्व का नहीं हो ।)**
14. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र (दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए मूल प्रति में) ।
15. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत स्वतंत्रता सेनानी के (नाती/नातिनी/पोता/पोती) संबंधी प्रमाण पत्र (मूल प्रति में) ।

क्0पृ0उ0

16. सिविल सर्जन द्वारा निर्गत अद्यतन स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र(मूल प्रति में) ।
17. अनुमंडल पदाधिकारी/कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में इस आशय का शपथ पत्र कि सभी प्रमाण पत्र सही है तथा आपके विरूद्ध थाना में अथवा न्यायालय में कोई वाद दर्ज नहीं है एवं आपका आचरण प्रतिकूल नहीं है(शपथ पत्र का विहित प्रपत्र संलग्न है) ।
18. तिलक-दहेज नहीं लेने एवं नहीं देने संबंधी शपथ पत्र(मूल प्रति में) ।
19. जिन अभ्यर्थियों के द्वारा कार्यानुभव का दावा किया गया हो, उन अभ्यर्थियों को किये गये कार्यानुभव की सम्पूर्ण अवधि का नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत वेतन/मानदेय/पारिश्रमिक भुगतान प्रमाण पत्र ।
20. नवीनतम पासपोर्ट साईज का 04 (चार) रंगीन फोटोग्राफ (फोटो के पीछे नाम एवं Samekit Serial No. लिखना सुनिश्चित करें) ।
21. बायोडाटा विहित प्रपत्र में(**विहित प्रपत्र संलग्न है**) ।

उपरोक्त कंडिका-1 से 19 तक में अंकित प्रमाण पत्रों/सभी अभिलेखों की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रतियाँ दो सेट में ।

नोटः- 1. अगर अभ्यर्थी उक्त प्रमाण पत्रों के साथ जाँच हेतु संलग्न कार्यक्रम के अनुसार उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी अभ्यर्थिता (Candidature) के विरूद्ध विधिसम्मत निर्णय लिया जा सकता है ।

2. प्रमाण पत्रों की जाँच हेतु सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा व्यय/भत्ता देय नहीं होगा ।

3. किसी प्रकार की टंकण त्रुटि होने पर उसमें सुधार करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित होगा ।

4. प्रमाण पत्रों के सत्यापन से संबंधित सत्यापन प्रपत्र एवं शपथ पत्र से संबंधित विहित प्रपत्र एवं उपरोक्त निदेश विभागीय वेबसाईट https://state.bihar.gov.in/mwrd/CitizenHome.html से भी डाउनलोड किया जा सकता है ।

अनु0:- (i) **परिशिष्ट-'1' (कुल-47 अभ्यर्थियों की सूची)** ।
(ii) **सत्यापन प्रपत्र** ।
(iii) **शपथ पत्र का विहित प्रपत्र** ।
(iv) **बायोडाटा का विहित प्रपत्र** ।
(v) **जाँच प्रपत्र** ।

अजय कुमार
30.5.2025

(अजय कुमार)
सरकार के उप सचिव ।